न्यायालय माध्यस्थम (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट), फलौदी
पीठासीन अधिकारीः श्वेता चौहान (आई.ए.एस.)

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र संख्याः—01 / 2024

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थीगण
1. सुखदेव पुत्र लालूराम जी जाति गुर्जर गौड़ ब्राहम्ण निवासी ग्राम बापिणी (औसिया) वर्तमान बापिणी, जिला जोधपुर, हाल फलौदी		1. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, भारतमाला परियोजना कार्यालय इकाई जोधपुर 188 उम्मेद हेरिटेज रातानाड़ा जोधपुर। 2. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी), औसिया

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा स्टेटमेन्ट ऑफ क्लेम अन्तर्गत धारा 3 G (5 राष्ट्रीय राजमार्ग, अधिनियम 1956

उपस्थितिः—
प्रार्थी की ओर सेः— अधिवक्ता श्री स्वरूप चन्द प्रजापत।
अप्रार्थी संख्या 01 की ओर सेः— अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सिंह राजपुरोहित।

—::निर्णय::— दिनांकः—24/02/2026

1. भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1645 दिनांक 16 अप्रैल 2024 के द्वारा के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 (1956 का 48) की धारा 3 जी के उपधारा (5) के अनुसरण में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट फलौदी को उक्त धारा के प्रयोजन के लिए एदतद्वारा मध्यस्थ (ARBITRATOR) नियुक्त किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तु आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है प्रार्थी की एकल खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 854 रकबा 25 बीघा किस्म बारानी चर्तुथ वाके ग्राम ईशरू पटवार हल्का ईशरू, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आऊ, तहसील बापिणी में आयी हुई है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 584 में रकबा 0.9507 भूमि को अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा भारत माला सड़क योजना के निर्माण हेतु अवाप्त की गई थी। उक्त अवाप्त की अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण भाग—॥ अधिसूचना भाग—3 उपखण्ड (॥) अधिसूचना का आ 2304 (अ) का दिनांक 13.07. 2018 (संशोधित) भात के राजपत्र असाधारण भाग—॥ भाग—3 उपखण्ड (॥) अधिसूचना

जिला कलक्टर
फलौदी

का आ 612 (अ) का दिनांक 31.01.2019 भारत के राजपत्र असाधारण भाग–॥ भाग –3 उपखण्ड (॥) अधिसूचना का आ 2090 (अ) का दिनांक 31.01.2019 को राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर जोधपुर संस्करण में दिनांक 12.01.2019 को हिन्दी प्रारूप में प्रकाशित, भारत के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 24.06.2019 को (राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर जोधपुर संस्करण) में दिनांक 22.07.2019 को 3 जी की कार्यवाही हुई। प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की जो भूमि अवाप्त की गई। उक्त अवाप्त सुदा भूमि का सक्षम अधिकारी(भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी औसिया) द्वारा जो मुवाअजा निर्धारित किया गया वो मुआवजा मुख्य सड़क के स्थान पर पिछे की कृषि भूमि की दर से निर्धारित करते हुए अवार्ड पारित किया गया। जबकि प्रार्थी की कृषि भूमि मुख्य सड़क पर चली आ रही थी। प्रार्थी की अवाप्तिसुदा कृषि भूमि का मुआवजा मुख्य सड़क से पीछे की तरफ से निर्धारित कर अवार्ड पारित किये जाने पर प्रार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी की अवाप्त सुदा कृषि भूमि मुख्य सडक पर स्थित है। अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा पारित आदेश में प्रार्थी के नाम से जारी पूर्व में अवार्ड का संशोधित करते हुए मुख्य सड़क की भूमि की दर से मुआवजा स्वीकृत करवाने हेतु अवार्ड संशोधन हेतु न्यायालय के समक्ष प्रार्थना प्रस्तुत किया है।

3. आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र प्रार्थी जरिये अधिवक्ता स्वरूप चन्द प्रजापत द्वारा आरबीट्रेटर अधिकारी एवं जिला कलक्टर फलौदी के समक्ष मय धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम पेश की गई। पत्रावली दिनांक 08.10.2024 को दर्ज रजिस्टर की जाकर उभयपक्षकारान को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सिंह राजपुरोहित ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 02 से मूल रिकार्ड तलब किया गया। जो प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। बाद पत्रावली को बहस में रखा गया।

4. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से दिनांक 10.12.2024 को प्रारम्भिक आपत्तियां मय जबाब पेश हुआ, जो रिकार्ड पर लिया गया। अप्रार्थीपक्ष संख्या 01 की ओर से प्रारम्भिक आपत्ति में बतलाया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 ए में उद्घोषणा जारी कर अवाप्त होने वाली भूमि का पूर्ण विवरण दर्ज रहा है। उकत अधिनियम की धारा 3 सी के तहत आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। और समस्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए पूर्ण अवसर प्रदान कर उक्त अधिनियम की धारा 3 डी के तहत अवाप्त अधिसूचना जारी की गई। उक्त समस्त कार्यवाहियों के अनुक्रम में प्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने का पूर्ण समुचित विधिक अवसर प्रदान किया गया, ऐसी दशा में समुचित अवसर देखकर पारित आदेश पूर्णतया विधि संगत है। वर्ष 2019 में प्रार्थी की जमीन का मुआवजा तय किया गया था उस समय जो स्थिति मौके

जिला कलक्टर
फलौदी

पर थी उसी अनुसार प्रार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर अवार्ड पास किया जो अवार्ड राशि प्रार्थी ने प्राप्त कर ली है। उसके बाद यदि मौके पर किसी प्रकार की सड़क होने का तथ्य अंकित किया है तो वह राजस्व रेकर्ड में है ही नहीं यहां तक कि जो भी नक्शे प्रस्तुत किये वे प्रार्थी को जीर अधिसूचना के प्रकाशन वर्ष 2019 के बाद के है जिन पर अब वर्तमान समय में कतई विचार नहीं किया जा सकता । प्रार्थी द्वारा अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा बिना किसी शर्त स्वीकार कर लिया था। अब पांच वर्ष बाद जानकारी न होने के झूठे तथ्य अंकित कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कि अवधि बाधित होने के कारण खारिज योग्य है।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अभिभाषक के द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना–पत्र के मद संख्या 2 में तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार किया है। प्रार्थी का यह अंकित करना कि प्रार्थी के द्वारा उक्त अवार्ड पारित होने के पश्चात प्रार्थी को उक्त तथ्यों की जानकारी होने पर अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवार्ड में संशोधन करने का निवेदन किया तो इस सम्बध में अप्राथी संख्या 01 ने लिखित जबाब में बताया कि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति अवार्ड जारी होने के पूर्व और पिछले 5 वर्षो में नहीं की गयी है। उसके बाद यदि वर्ष 2023 में किसी प्रकार की आपत्ति की है तो वह पोषणीय नहीं है।साथ उक्त आपत्ति का विधिनुसार निस्तारण कर दिया गया जहां तक अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा प्रार्थी की आपत्ति के निस्तारण हेतु प्रार्थी की कृषि भूमि की मौका रिपोर्ट तहसीलदार बापिणी से मंगवाई गई और तहसीलदार बापिणी के द्वारा प्रस्तुत मौका/जांच रिपोर्ट एवं उसके साथ प्रस्तुत गिरदावरी के अनुसार प्रार्थी की अवाप्तशुदा कृषि भूमि सड़क की भूमि पाई गई तो इस सम्बन्ध में लेख है कि उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 16.08.2023 मे पटवारी भू अभिलेख मण्डल ईशरू ने स्पष्ट अंकित किया है कि डामर सड़क राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थी को डामर सडक की दर के अनुसार मुआवजा दिया जाना कतई उचित नही है। ना ही आवश्यक एवं न्याय संगत है। अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित पद संख्या 03 में वर्णित तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार किया है। अवाप्ति की कार्यवाही के दौरान जो सूचना समाचार पत्र के मार्फत प्रकाशित करवाई गई एवं उक्त प्रकाशन में त्रुटिवश प्रार्थी की भूमि को सड़क के अन्दर की भूमि दर्शाया गया हो वह सरासर गलतज है। यह भी गलीत है कि अवाप्ति की कार्यवाही के समय प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित खसरान की भूमि ही मुख्य सड़क की हो यह भी गलत है कि हल्का पटवारी के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय अन्य खसरान की भांति प्रार्थी की भूमि को भी सड़क के अन्दर की बताते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हो जहां प्रार्थी न पर संख्या 03 में जानकारी के अभाव का कथन किया है जो सरासर गलत है। प्रार्थी के खते में रशि आयी उसी समय प्रार्थी को ज्ञात हो गया था कि अवार्ड पारित हो चुका है। साथ उससे पूर्व सुनवाई के अवसर के समय भी प्रार्थी को पूरा सुना गया था ।

जिला कलक्टर
फलौदी

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है उसे माफ नहीं किया जा सकता इस प्रार्थी का आवेदन खारिज योग्य है।

6. अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि दिनांक 09.03.2009 को खातेदार द्वारा खसरा नम्बर 854 रकबा 25 बीघा भूमि में से 8 बिस्वा भूमि राज्य सरकार राजस्थान के पक्ष में समर्पित कर दी थी। समपर्ण पश्चात तहसीलदार फलौदी के पत्र क्रमांक:राजस्व/2009/419 दिनांक 18.03.2009 के द्वारा समपर्ण पत्र स्वीकार कर कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लिया जाकर नामान्तकरण राज्य सरकार के हक मे भरकर मय तरमीम रिपोर्ट पेश हेतु लिखा गया था। लेकिन हल्का पटवारी द्वारा उक्त भूमि का नामान्तरकरण नहीं भरा गया। अवाप्त की अधिसूचना के समय समपर्ण की गई भूमि पर डामर सड़क बन चुकी थी। लेकिन उसका राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं किया गया था। अवार्ड पारित किये जाने पर प्रार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और निवेदन किया गया कि अवाप्त सुदा भूमि का मुआवजा की गणना मुख्य सड़क दर से पारित कर अदा किया जावे। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर प्रार्थी की अवाप्तसुदा कृषि भूमि की मौका/जांच रिपोर्ट जरिये पत्र क्रमांक भूअ/2023/1075 दिनांक 18.03.2023 व पत्र पत्र क्रमांक अवाप्ति/भारतमाला/2023/114 दिनांक 21.08.2023 कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी ओसिया के अनुसार प्रार्थी की अवाप्त सुदा कृषि भूमि अवाप्ति की अधिसूचना जारी होने से पूर्व से ही सड़क होना पाई गई। इसलिए सक्षम अधिकरी के द्वारा आदेश पारित कर प्रार्थी के नाम से जारी पूर्व में अवार्ड का संशोधित करते हुए मुख्य सड़क की भूमि की दर से मुआवजा स्वीकृत किया जाकर वितरित किये जाने का आदेश पारित किया जावे। वर्णित खसरान की भूमि में प्रारंभ से ही डामर सड़क की कृषि भूमि हैं जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। भारतमाला निर्माण हेतु उक्त भूमि अवाप्त किये जाने की सूचना जारी होने से पूर्व से प्रार्थी की उक्त भूमि मुख्य सड़क पर स्थित है। निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी की अवाप्त भूमि का मुआवजा राशि मुख्य सड़क की दर से गणना करते हुए अवार्ड पारित करने का आदेश पारित फरमावें।

7. अप्रार्थी संख्या 02 के अभिभाषक द्वारा बहस में बताया कि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति अवार्ड जारी होने के पूर्व और पिछले 5 वर्षो में नहीं की गयी है। उसके बाद यदि वर्ष 2023 में किसी प्रकार की आपत्ति की है तो वह पोषणीय नहीं है।साथ उक्त आपत्ति का विधिनुसार निस्तारण कर दिया गया जहां तक अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा प्रार्थी की आपत्ति के निस्तारण हेतु प्रार्थी की कृषि भूमि की मौका रिपोर्ट तहसीलदार बापिणी से मंगवाई गई और तहसीलदार बापिणी के द्वारा प्रस्तुत मौका/जांच रिपोर्ट एवं उसके साथ प्रस्तुत गिरदावरी के अनुसार प्रार्थी की अवाप्तशुदा कृषि भूमि सड़क की भूमि पाई गई तो इस सम्बन्ध में लेख है कि उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 16.08.

जिला कलक्टर
फलौदी

2023 मे पटवारी भू अभिलेख मण्डल ईशरू ने स्पष्ट अंकित किया है कि डामर सड़क राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थी को डामर सडक की दर के अनुसार मुआवजा दिया जाना कतई उचित नही है। बहस के अन्त आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की।

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1954 की धारा 3G की उपधारा (7) के अनुसारः— The competent authority or the arbitrator while determining the amount under sub-section (1) or sub section (5), as case may be, shall take into consideration-

1. The market value of the land on the date of publication of the notification under section 3A;
2. The damage, if any, subtained by the person interested at the time of the taking possession of the land, by reason of the severing or such land from other land;
3. The damage, if any, subtained by the person interested at the time of the taking possession of the land, by reason of the acquisition injuriously affecting his other immovable property, in any manner, or his earnings;
4. If, in consequences of the acquisition of the land, the person interested is compelled to change his residence or place of business the reasonable expenses, if any, incidental to such change.

9. प्रार्थी की एकल खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 854 रकबा 25 बीघा भूमि मे से 8 बिस्वा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समपर्ण दिनांक 09.03.2009 को कर दी गई है। तत्कालीन तहसीलदार फलौदी के कार्यालय आदेश क्रमांक/ राजस्व/ 2009/419 दिनांक 18.03.2009 के द्वारा उक्त समपर्ण पत्र बिना शर्त स्वीकार कर लिया गया। तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का ईशरू को उक्त समर्पण भूमि का नामान्तरकरण राज्य सरकार के हक मे भरकर मय तरमीम रिपोर्ट पेश करने का आदेशित भी किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया कि भूमि के अवाप्ति तक उक्त समर्पण की गई भूमि का राजस्व रेकर्ड में अंकन नहीं होना पाया गया। तहसीलदार बापिणी के पत्र क्रमांकः— भू.अ./2023/1075 दिनांक 18.08.2023 द्वारा सक्षम प्राधिकारी अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी औसिया को प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 854 रकबा 4.0469 हैक्टयर के पश्चिमी माठ (सीमा) पर डामर सड़क चल रही है एवं डामर सडक का राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने का उल्लेख किया गया है। उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं दौराने बहस के तथ्य का अवलोकन एवं मनन पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाने योग्य न्यायोचित होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सक्षम

जिला कलक्टर
फलौदी

प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी औसिया) को पत्रावली प्रेतिप्रेषित की जाती है कि परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, भारतमाला परियोजना (लौट–4/पैकेज–6) के अन्तर्गत इकॉनोमिक कॉरिडोर अमृतसर–कांडला परियोजना में प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 854 भूमि में से अवाप्ति भूमि का मुआवजा राशि मुख्य सड़क की दर से गणना करते हुए अवार्ड पारित करें। निर्णय की पालना हेतु उभयपक्षकारान को प्रमाणित प्रति प्रेषित हो।

(श्वेता चौहान)
आर.ए.एस.
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट फलौदी